FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज. अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• कमला पत्नी स्व. मोहन उम्र करीबन 55 साल जाति जाट निवासी ग्राम काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर राज । —प्रार्थी

बनाम

•गोपाल पुत्र लादू ~~सर्व~~ जाति जाट निवासी ग्राम काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 13 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ....

वकील प्रार्थी :— रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08/5/2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 09/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
09/5/2024	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस/तामील अप्राप्त। पत्रावली वास्ते तामील/[illegible] पत्रावली दिनांक 31/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारें। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 3/6/24 को पेश हो।	
3/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। .तलबी.......हेतु समय चाहा। पत्रावली अप्रार्थीगण..........हेतु वास्ते....तलबी.... दिनांक 12/7/24.. को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	

30/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण। तलबाना 15 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है। PO साहब आरटीएस पर हैं। पत्रावली दिनांक 18.7.25 को पेश हो।

18/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

12/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. । प्रतिवादी ने 15 ता. पत्रावली ब.द. मय स्वामित्व कार्यवाही की जाती है। TDR ... पत्रावली दिनांक 7/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

7/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वकील वादी की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर रिकार्ड में जमा हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2024

1. कमला पत्नी स्व० मोहन उम्र करीबन 55 वर्ष
2. जतनलाल पुत्र स्व० मोहन उम्र करीबन 35 वर्ष
3. बन्ना पुत्र मादू उर्फ माधु उम्र करीबन 72 वर्ष
4. रामनिवास पुत्र गोपाल उम्र करीबन 50 वर्ष
5. रामेश्वर पुत्र मादू उर्फ माधु उम्र करीबन 62 वर्ष
6. सांवरलाल पुत्र रंगलाल उम्र करीबन 40 वर्ष

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र लादू
2. घीसा पुत्र लादू
3. रामकिशन पुत्र लादू

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

4. छगनी पुत्री रतना पति सांवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
5. पांचू पुत्र रिद्वकरण
6. भोलू पुत्र सुगना
7. मंगला पुत्र भूरा
8. रूपा पुत्र सुगना

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

9. राजू देवी पुत्री हरकरण पति शंकर जाति जाट निवासी ग्राम फोग्या तहसील मालपुरा जिला टोंक
10. रामेश्वर पुत्र रिद्वकरण
11. सुखपाल पुत्र भूरा
12. सुरता पत्नि रामलाल
13. सांवरा पुत्र भूरा
14. हंसराज पुत्र रिद्वकरण

जाति जाट निवासी ग्राम काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

15. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 7/11/25

वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामदेव गुर्जर एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, खातेदारी की आराजीयात ग्राम काकलवाड़ा पटवार हल्का काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 204 रकबा 5.7520 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त व उपयोग–उपभोग करते आ रहे है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारी को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है।

उत्तर :– ग्राम सान्दोलिया जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 106

दक्षिणः– खसरा नम्बर 207, अजमेर से मालपुरा जाने वाली रोड़ खसरा नम्बर 510/207 व खसरा नम्बर 206 (अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 14 की खातेदारी भूमि)

पूर्व :– खसरा नम्बर 205 गै० मु० नाला व उसके पश्चात् आबादी खसरा नम्बर 200, 201 की भूमि

पश्चिम :– खसरा नम्बर 208 (अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी)

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शाध्राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से उपरोक्त वर्णित आराजीयात में काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के बीच भविष्य में मेड़, सींव, नींव को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही होने के लिये प्रार्थीगण द्वारा अपने चर्तुथ सीमा में पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे भविष्य में किसी प्रकार का पडौसी खातेदारों से विवाद उत्पन्न न हो। पूर्व में दिनांक 18.03.2009 को सीमाज्ञान किया गया है जिससे सभी सन्तुष्ठ थे परन्तु अप्रार्थीगण पुनः सीमाओं का विवाद करने लग गये इसलिये प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया परन्तु आज दिन तक किसी प्रकार से कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक एवं प्रार्थीगण के विधिक अधिकार है जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का भविष्य में विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा स द्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तो कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य नींव, सींव का ठोस प्रमाण हेतु प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का दिनांक 23.02.2024 को किया गया प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं का विवाद उत्पन्न हो गया इस कारणर पूर्व में किये गये सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण नींव, सींव में सीमा चिन्हीत करने बाबत् पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा गया है जिससे प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की आराजी के पडौसी खातेदारान की आराजीयात की नींव, सींव को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो एवं प्रार्थीगण की आराजीयात का पुख्ता चर्तुथ सीमा प्रमाण सिद्ध हो सके एवं प्रार्थीगण अपनी आराजीयात को अधिक विकसित कर पडौसी खातेदारान से मधुर सम्बन्ध कायमता में किसी प्रकार की आंच अथवा अडचन उत्पन्न न हो एवं प्रार्थीगण के विविध अधिकारों का सरक्षण हो सकें जो प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 15, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में खातेदार केसर व रामाकिशन फौत होने से पक्षकार कायम नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थी के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग, खातेदारी की आराजीयात ग्राम काकलवाड़ा पटवार हल्का काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 204 रकबा 5.7520 हैक्टेयर भूमि की राजस्व ट्रेसध्जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 5.4.2024को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 12.09.2025 को प्रतिवादी 1 से 15 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 7.11.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम काकलवाड़ा पटवार हल्का काकलवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 204 रकबा 5.7520 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश

दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)